न्यूज़ टुडे

कृषि उत्पादन अनुमान 2024-2025 के अनुसार भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2024-25 कृषि वर्ष के लिए फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। इसमें रिकॉर्ड उत्पादन श्रृंखला दर्ज की गई है।

अनुमानों का अवलोकन

- **खाद्यान्न:** भारत के सभी **प्रमुख अनाजों (चावल, गेहूं, मक्का और मोटा अनाज) की उपज में वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **तिलहन:** 2023-24 की तुलना में **8% से अधिक** की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है।
  - इस वृद्धि के मुख्य चालक **सोयाबीन और मूंगफली** हैं।

उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकारी पहलें

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद आश्वासन:** दालों विशेष रूप से **तूर, उड़द, चना और मूंग** के लिए MSP खरीद आश्वासन ने बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचाया है।
- **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31):** इसका उद्देश्य दलहन उत्पादन में **आत्मनिर्भरता** प्राप्त करना है। **इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे-**
  - घरेलू दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी;
  - आयात पर निर्भरता कम की जाएगी; तथा
  - किसानों की आय में निरंतर सुधार किया जाएगा।
    - उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर, भारत दालों का **सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक** है।
- **सिंचाई विकास:** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), सूक्ष्म सिंचाई कोष, आदि।
- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन:** इसमें उत्पादकता और संधारणीयता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक एवं जैविक उर्वरकों का उपयोग शामिल है।

यूनिसेफ ने "द स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन (SoWC) 2025" रिपोर्ट जारी की

"SoWC 2025: **बाल निर्धनता की समाप्ति – हमारी साझा आवश्यकता**" शीर्षक वाली यह रिपोर्ट **छह श्रेणियों में वंचनाओं (अभावों) को मापकर बहुआयामी निर्धनता का आकलन** करती है।

- ये छह श्रेणियां हैं; **शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता और जल आपूर्ति।**
- निर्धनता का आकलन करने के लिए **130 से अधिक निम्न और मध्यम-आय वाले देशों (LMICs) के डेटा का उपयोग** किया गया है।

SoWC 2025 के मुख्य निष्कर्ष

- **मौद्रिक निर्धनता:** विश्व के **19% से अधिक बच्चे चरम मौद्रिक-गरीबी में जीवन जी रहे हैं।** ये **3 अमेरिकी डॉलर दैनिक से भी कम में गुजारा** करते हैं।
- **वंचना (अभाव): निम्न और मध्यम-आय वाले देशों** में औसतन **5 में से 1 से अधिक बच्चे स्वास्थ्य, विकास और सेहत के लिए ज़रूरी न्यूनतम दो श्रेणियों में गंभीर वंचना** का सामना करते हैं।
  - भारत में लगभग **20.6 करोड़ बच्चे कम से कम एक वंचना** और लगभग **6.2 करोड़ बच्चे दो या उससे अधिक श्रेणियों में वंचनाओं का सामना** करते हैं।
  - स्वच्छता (सैनिटेशन) सबसे **व्यापक गंभीर वंचना** है। इससे **बच्चों में बीमारियों का खतरा** बढ़ जाता है।
- **भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसार: सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में** बच्चों में बहुआयामी निर्धनता की दर सबसे अधिक है।

बाल निर्धनता समाप्त करने के लिए पांच नीतिगत कदम

- **बाल निर्धनता समाप्ति को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनानी चाहिए,** संसाधनों को जुटाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **आर्थिक नीतियों और बजट में बच्चों की जरूरतों का ध्यान** रखा जाना चाहिए तथा **बाल-अनुकूल बजटिंग** को अपनाना चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम** के साथ-साथ **परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ** प्रदान करना चाहिए।
  - **ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में लक्षित नकद अंतरण (Cash transfer) कार्यक्रम** अत्यधिक प्रभावी साबित हुए हैं।
- **शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल , जलापूर्ति, स्वच्छता, पोषण और आवास** जैसी **आवश्यक लोक-सेवाओं की सार्वभौमिक (सभी को) उपलब्धता** सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **माता-पिता और देखभालकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ करने की जरूरत** है। इसके लिए सम्मानजनक कार्य (रोजगार) को बढ़ावा देना, न्यूनतम मजदूरी लागू करना, औपचारिक क्षेत्रक का विस्तार करना और सामाजिक सुरक्षा योजना का कवरेज बढ़ाना जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

- **निर्धनता बढ़ाने वाले कारक: संघर्ष/गृहयुद्ध, जलवायु और पर्यावरणीय संकट, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, राष्ट्रीय ऋण बोझ में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग के स्तर पर असमानताएँ** और **आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में अभूतपूर्व कटौतियाँ।**
- **प्रभाव:** निर्धनता **बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और सीखने की क्षमता** पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके परिणामस्वरूप उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है तथा उनमें अवसाद व चिंता की दरें बढ़ जाती है।
  - सामाजिक स्तर पर देखें तो निर्धनता **आर्थिक समृद्धि की संभावनाओं** को कमजोर करती है तथा **हिंसा और उग्रवाद के बढ़ने के लिए अनुकूल दशाएं** उत्पन्न करती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में किशोर न्याय कानून के प्रवर्तन के बावजूद किशोर न्याय तंत्र में व्याप्त कमियों को उजागर किया गया

इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **'किशोर न्याय और कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक।'** यह रिपोर्ट **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** के लागू होने के दस वर्षों बाद भारतीय किशोर न्याय तंत्र के कामकाज और क्षमता का मूल्यांकन करती है।

- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक **द्विवार्षिक (दो वर्षों में एक बार) मात्रात्मक सूचकांक** है। यह सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की न्याय प्रणाली की क्षमता का आकलन एवं रैंकिंग करने के लिए सरकारी डेटा का उपयोग करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का अपर्याप्त गठन:** 2023-2024 तक, 765 जिलों में 707 JJB थे। केवल **18 राज्यों और जम्मू-कश्मीर** में प्रत्येक जिले में एक JJB था।
- **JJB में बढ़ते लंबित मामले:** नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान केवल **45%** मामलों का निपटारा किया गया है।
- **जांच कार्यों में विलंब:** हिरासत सुविधाओं में मौजूद कुल बालकों में से **लगभग 83%** पर्यवेक्षण गृहों में थे। यह जांच कार्यों के **लंबे समय तक लंबित रहने** को दर्शाता है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना और कवरेज:** 14 राज्यों में बालकों के लिए **सुरक्षित स्थान** का अभाव है।
  - राष्ट्रीय स्तर पर, **319 पर्यवेक्षण गृह, 41 विशेष गृह और 40 सुरक्षित स्थान** हैं।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **JJB की क्षमता को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित करना कि मौजूदा बोर्ड न्यायाधीशों, अधीक्षकों जैसे प्रमुख पदों पर **पर्याप्त पदाधिकारियों** के साथ कार्य कर सकें।
- **दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए। साथ ही पुलिस, अदालतों, बाल-देखभाल संस्थाओं आदि में डेटाबेस को केंद्रीकृत करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण को क्षमता बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्राथमिकता देना:** संरचित व योग्यता-आधारित कार्यक्रम निर्मित करने चाहिए, जो पुलिस, JJBs, परिवीक्षा अधिकारी (probation officers), वकील आदि को एक साथ लाएंगे।
- **समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन करना:** प्रदर्शन में सुधार के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 55 के तहत शैक्षणिक और नागरिक समाज निकायों द्वारा नियमित स्वतंत्र ऑडिट्स सुनिश्चित करने चाहिए।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में

- यह **कानून के उल्लंघन के आरोपित बालकों (Children in Conflict with Law: CCL) और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (CNCP)** से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करता है।
  - **CCL (कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक):** इसका अर्थ है **18 वर्ष से कम** आयु का वह बालक जिस पर अपराध करने का आरोप है/ पाया गया है।
- **बोर्ड:** यह कानून CCL के मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में **किशोर न्याय बोर्ड (JJB)** स्थापित करना अनिवार्य करता है।
- **कार्यान्वयन निगरानी:** राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** और राज्य स्तर पर **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR)** द्वारा।
- **प्रारंभिक मूल्यांकन:** यदि **16 वर्ष से अधिक आयु** के बालक द्वारा कथित रूप से **जघन्य अपराध** किया गया है, तो JJB बालक की क्षमता का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा।
  - प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, बाल न्यायालय यह तय कर सकता है कि बालक पर **वयस्क के रूप में मुकदमा** चलाया जा सकता है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है

उच्चतम न्यायालय की **पांच-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ** ने **संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ** में अपनी राय दी। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय संविधान के **अनुच्छेद 200 और 201** के तहत विधेयकों पर अनुमति देने में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई समय-सीमा लागू नहीं कर सकता।

- इससे पहले, **अप्रैल 2025 में,** उच्चतम न्यायालय ने **अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय** की थी।
- **अनुच्छेद 143** राष्ट्रपति को **विधि या तथ्य से जुड़े व्यापक महत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय से राय लेने की शक्ति** देता है।

उच्चतम न्यायालय की राय के अन्य मुख्य बिंदु

- **'मानित अनुमति' (Deemed Assent) संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है:** शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि **कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि न्यायालय द्वारा तय समय-सीमा समाप्त** हो चुकी है।
  - ऐसा करना **राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण** होगा। साथ ही, यह **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** और **संघीय ढांचे के प्रतिकूल** है।
- **राज्यपाल/राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते:** ऐसा करना **संघवाद, विधायिका के कार्य और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन** है।
- **सीमित न्यायिक समीक्षा:** यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करें तो **न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।**
  - **न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रिया तक सीमित है,** न कि निर्णय के सही या गलत के मामले में।
- जब राज्यपाल **किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता** है, तब राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में **उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है।** इन मामलों में **राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि** पर्याप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में

- **अनुच्छेद 200:** जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक **राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास निम्नलिखित चार विकल्प होते हैं:**
  - वह विधेयक पर अनुमति देता है।
  - विधेयक पर अनुमति रोक लेता है जिससे विधेयक वास्तव में ख़ारिज हो जाता है।
  - विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा देता है।
  - विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए के लिए आरक्षित रखता है।
- **अनुच्छेद 201:** जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो:
  - यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देता है, या
  - वह अनुमति रोकता है, या
  - विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा देता है।
- **राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए संविधान में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।**

उच्चतम न्यायालय ने अरावली के लिए 'सतत खनन प्रबंधन योजना' (MPSM) तैयार करने हेतु केंद्र को निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय **टी. एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद मामले (1995)** में अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान परिभाषा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **एक समान परिभाषा:** उच्चतम न्यायालय ने **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)** के मापदंड को स्वीकार किया। इस मापदंड में **निम्नलिखित परिभाषाएं तय की गई हैं-**
  - **'अरावली पहाड़ी'** को निर्दिष्ट जिलों में **100 मीटर की ऊंचाई** वाली किसी भी भू-आकृति के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **'श्रेणी'** (Range) को अरावली पहाड़ी के **500 मीटर की निकटता** के भीतर की पहाड़ियों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **MPSM (सतत खनन प्रबंधन योजना):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)** के माध्यम से यह योजना तैयार करेगा।
  - MPSM खनन के लिए **अनुमेय क्षेत्रों** की पहचान करेगी। साथ ही **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण के आधार पर महत्वपूर्ण और पुनर्प्राप्ति की प्राथमिकता वाले** क्षेत्रों की भी पहचान करेगी, जहां खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- **अधिस्थगन (Moratorium):** MPSM को अंतिम रूप दिए जाने तक **अरावली श्रेणी वाले राज्यों में नए खनन पट्टों (Mining Leases) या पट्टों के नवीनीकरण पर प्रतिबंध** लगा दिया गया है।

अरावली पर्वतों के बारे में

- **भूगोल:** ये विश्व के सबसे पुराने **वलित पर्वत (Fold Mountains)** हैं। ये **प्री-कैम्ब्रियन युग** के पर्वत हैं। ये **गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा** तक फैले हुए हैं।
  - सबसे ऊँची चोटी **माउंट आबू पर गुरु शिखर** है।
- **महत्त्व:**
  - ये पर्वत **"ग्रीन बैरियर"** के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये **थार रेगिस्तान के पूर्व दिशा में गंगा-सिंधु के मैदानों की ओर विस्तार को रोकते** हैं।
  - ये एक महत्वपूर्ण **जलभृत पुनर्भरण क्षेत्र (Aquifer Recharge Zone)** के रूप में कार्य करते हैं।
  - **गंगा और सिंधु नदी बेसिन** के बीच एक **जल विभाजक** (Watershed) के रूप में कार्य करते हैं। **बनास, लूनी और साहिबी** जैसी नदियों के लिए **जलग्रहण क्षेत्र** हैं।
  - **अरावली की विशाल हरित दीवार** (Great Green Wall of Aravalli), एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा है। ये गलियारा क्षेत्र में **भारतीय तेंदुओं और सियार** के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है।
- MoEF&CC ने **अरावली हरित दीवार परियोजना** शुरू की है। इसका उद्देश्य निम्नीकृत हो चुकी भूमि को बहाल करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, हरियाली बढ़ाना और अरावली भू-परिदृश्य के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार करना है।

अन्य सुर्ख़ियां

डार्क पैटर्न्स

हाल ही में, 26 अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने **डार्क पैटर्न्स** को खत्म करने के लिए **अनुपालन** की घोषणा की।

- इन प्लेटफॉर्म्स ने **स्वेच्छा से स्व-घोषणा पत्र** प्रस्तुत किए हैं, जो **डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023 के अनुपालन की पुष्टि** करते हैं।

डार्क पैटर्न्स के बारे में

- **परिभाषा:** ये भ्रामक ऑनलाइन डिज़ाइन युक्तियां हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अनजाने में ऐसे कार्य करने के लिए **गुमराह** करती हैं, जो वे नहीं करना चाहते थे, जैसे कि **झूठी तात्कालिकता (false urgency) या बास्केट स्नीकिंग (basket sneaking)** आदि।
- **विनियमन:** डार्क पैटर्न्स की **डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023** के तहत पहचान की गई है व निषिद्ध किया गया है। इन दिशा-निर्देशों को **उपभोक्ता कार्य विभाग** ने जारी किया है।

संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM)

ब्राजील के बेलेम (Belém) में COP30 के दौरान भारत ने **संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM)** को न्यायसंगत और मापनीय वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख उपकरण माना।

संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) के बारे में

- **इतिहास:** इसकी शुरुआत **जापान ने 2013** में की थी। इसे द्विपक्षीय क्रेडिटिंग भागीदारी के माध्यम से **कम कार्बन उत्सर्जक प्रौद्योगिकियों** को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** जापानी संस्थाओं द्वारा निवेश के माध्यम से अग्रणी **डीकार्बोनाइजिंग प्रौद्योगिकियों व अवसंरचना** आदि के प्रसार को सुगम बनाना, जिससे भागीदार देशों में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी लाने या उसे हटाने और सतत विकास में योगदान मिले।
- **भागीदारी:** अब यह **भारत-जापान सहयोग सहित 31 भागीदार देशों और 280 से अधिक परियोजनाओं** तक फैल चुका है।
- **फ्रेमवर्क:** यह **पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6** के तहत कार्य करता है। यह अनुच्छेद पारदर्शी क्रेडिट साझाकरण और वित्त जुटाने को सक्षम बनाता है।
- **फोकस क्षेत्र:** भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन/ अमोनिया, सतत विमानन ईंधन, बायोगैस और हार्ड-टू-अबेट क्षेत्रक।
  - **हार्ड-टू-अबेट क्षेत्रक:** ये ऐसे क्षेत्रक होते हैं, जिनसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना कठिन होता है, जैसे-इस्पात क्षेत्रक।

जैवलिन और एक्सकैलिबर

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 93 मिलियन डॉलर मूल्य के **जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम, एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशन और संबंधित उपकरणों** की बिक्री को मंजूरी प्रदान की।

जैवलिन मिसाइल सिस्टम (FGM-148 Javelin) के बारे में

- **निर्माता:** इसका निर्माण **लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन** के एक संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाता है।
- **विशेषता:** यह **"दागो और भूल जाओ" (fire-and-forget)** सिद्धांत पर आधारित टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल है। इसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। यह **मध्यम दूरी** की मिसाइल है।
- **क्षमता:** यह मुख्य युद्धक टैंकों और अन्य बख्तरबंद खतरों को **टॉप-अटैक या डायरेक्ट मोड्स** का उपयोग करके लक्षित करती है।
  - इसका बख्तरबंद वाहनों, बंकरों और गुफाओं सहित कई लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है।

एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशन के बारे में

- **निर्माता:** इसे **रेथियॉन मिसाइल्स एंड डिफेंस (RTX)** द्वारा एक **सटीक-निर्देशित 155 मिमी आर्टिलरी राउंड** के रूप में विकसित किया गया है।
- **क्षमता:** यह **लंबी दूरी** पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे **संपार्श्विक क्षति (collateral damage)** कम होती है यानी सामान्य नागरिकों या गैर-युद्धक सैनिकों को बहुत कम हानि होती है। साथ ही, **रसद संबंधी लागत में भी कमी** आती है।

भारतीय पोत परिवहन जहाज

केंद्र सरकार ने अब उन **सभी भारतीय जहाजों** के लिए **साइन-ऑन, साइन-ऑफ़** और **शोर लीव पास (SLP)** नियमों को समाप्त कर दिया है, जो **अनन्य रूप से भारतीय जल क्षेत्र** में ही परिचालन करते हैं।

नियमों को हटाने के पीछे कारण

- **शोर लीव पास (SLP) नियम:** इसके तहत नाविकों को SLP प्राप्त करने और उसके विस्तार के लिए आव्रजन कार्यालयों (Immigration Offices) में **स्वयं उपस्थित** होना पड़ता था। उन्हें **प्रत्येक 10 दिनों** में ऐसा करना पड़ता था। इसके कारण परिचालन में देरी होती थी और जहाज पर चालक दल के कर्तव्यों में बाधा आती थी।

भारतीय पोत परिवहन जहाजों के विकास को बढ़ावा देने वाली अन्य पहलें निम्नलिखित हैं

- पहले अस्वीकार करने का अधिकार (Right of First Refusal: ROFR);
- भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी सहायता;
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति आदि।

ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स (ORS)

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को 'ORS' शब्द का उपयोग करके विपणन किए जा रहे पेय पदार्थों और समान उत्पादों को बाजार से हटाने का निर्देश दिया।

ORS के बारे में

- **परिचय:** 'ORS' शब्द अनन्य रूप से **WHO-अनुशंसित ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स** से जुड़ा है, जो कि **दवा उत्पाद** हैं।
- **उद्देश्य:** यह एक सरल व सस्ता **ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट घोल** है। इसका उपयोग **तीव्र अतिसार रोगों (acute diarrhoeal diseases)** से होने वाले निर्जलीकरण (dehydration) को रोकने व उपचार करने के लिए किया जाता है।
  - **तीव्र अतिसार रोग विकासशील देशों में बाल मृत्यु दर** का एक प्रमुख कारण है।
- **WHO अनुशंसित ORS की संरचना:** सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज (एनहाइड्रस), पोटेशियम क्लोराइड, और ट्राइसोडियम साइट्रेट (डाईहाइड्रेट)।
- **कार्य:**
  - **ग्लूकोज:** सोडियम और जल के अवशोषण (absorption) को बढ़ाता है।
  - **सोडियम और पोटेशियम:** आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करते हैं।
  - **साइट्रेट:** निर्जलीकरण से संबंधित **अम्लरक्तता (acidosis)** को ठीक करने में मदद करता है।

UNFCCC COP

तुर्की UNFCCC **COP31 की मेजबानी** करेगा और **ऑस्ट्रेलिया इसकी अध्यक्षता** करेगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के बारे में

- COP, UNFCCC का **सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय** है।
- COP **वार्षिक सम्मेलन** होते हैं, जहां UNFCCC के सदस्य देश **प्रगति का आकलन** करते हैं, **समझौतों पर वार्ता** करते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए **प्रतिबद्धताओं को परिष्कृत** करते हैं।
- COP का एक प्रमुख कार्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत **राष्ट्रीय संचार और उत्सर्जन सूची {जैसे- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)}** की समीक्षा करना होता है।
- **COP 1:** यह **जर्मनी के बर्लिन में 1995** में आयोजित किया गया था।

फार्माकोजीनोमिक्स

फार्माकोजीनोमिक्स किसी व्यक्ति की **आनुवंशिक प्रोफ़ाइल** का उपयोग करके अधिकतम सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को अनुकूलित करता है। इस प्रकार यह **परिशुद्ध चिकित्सा (Precision Medicine)** में क्रांति ला रहा है।

फार्माकोजेनोमिक्स के बारे में

- **परिभाषा:** यह **फार्माकोलॉजी** (दवाओं का अध्ययन) और **जीनोमिक्स** (जीनोम का अध्ययन) का मिश्रण है। इससे यह अध्ययन किया जा सकता है कि **जीन** किसी व्यक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं।
- **उद्देश्य:** यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि कौन-सी दवाएं **प्रभावी** होंगी, कौन-सी **काम नहीं** कर सकेंगी, और कौन-सी **प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं** पैदा करेंगी।
- **भविष्य की संभावना:** यह **"सही दवा, सही खुराक, सही रोगी"** के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करके परिशुद्ध चिकित्सा का समर्थन करता है।
- **सुरक्षा:** यह उन रोगियों की पहचान करके **प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (ADRs) को काफी कम** करता है, जो दवा की विषाक्तता या खराब प्रभावकारिता के प्रति संवेदनशील हैं।
- **चुनौतियां:** इस तक पहुंच, विविध आबादी के डेटा की उपलब्धता, और नैदानिक अभ्यास (clinical practice) में इसका समेकन अभी भी इसे व्यापक रूप से अपनाने को सीमित करते हैं।

ग्लोबल मुटिराओ

ब्राजील में आयोजित हो रहे COP30 में, **"ग्लोबल मुटिराओ"** पहल को अपनाया गया। यह पहल **जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के लिए तत्काल व सामूहिक लामबंदी** का आह्वान करती है।

'ग्लोबल मुटिराओ' पहल के बारे में

- **इतिहास:** यह एक **ब्राजीलियाई और देशज परंपरा** के शब्द **'मुटिराओ'** से प्रेरित है। इसका अर्थ **साझा लक्ष्यों के लिए सामुदायिक श्रम** है। इसे **COP30 प्रेसीडेंसी** द्वारा एक **वैश्विक जलवायु लामबंदी उपकरण** के रूप में अपनाया गया है।
- **अवधारणा:** यह जलवायु कार्रवाई को **पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य** के अनुरूप एक **सहकारी व समग्र समाज के प्रयास** के रूप में प्रस्तुत करती है।
- **दायरा:** यह कार्यान्वयन, वित्त-पोषण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को गति देने के लिए **सरकारों, शहरों, निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज** से भागीदारी की अपेक्षा करती है।
- **प्लेटफ़ॉर्म:** यह भागीदारी को व्यापक बनाने और स्थानीय कार्रवाई को वैश्विक लक्ष्यों से जोड़ने के लिए **मालोका डिजिटल हब** जैसे उपकरणों का उपयोग करती है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

सेशेल्स (राजधानी: विक्टोरिया)

सेशेल्स **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का छठा सदस्य** बना।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति:** यह **पश्चिमी हिंद महासागर में, मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व** में स्थित है। **155 द्वीपों** वाला एक द्वीपसमूह है।
- **आकार:** क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से **यह सबसे छोटा अफ्रीकी देश** है।

भौगोलिक विशेषताएं

- द्वीप समूह जलमग्न **मस्कारेने पठार** के ऊपर स्थित है।
- **भू-भाग: माहे द्वीप समूह ज्वालामुखीय** है, जिसके संकरे तट और आंतरिक भाग पहाड़ी हैं। अन्य अपेक्षाकृत **समतल प्रवाल द्वीप या ऊंची चट्टानें** हैं।
- **द्वीप समूह:** इसमें दो मुख्य द्वीप समूह शामिल हैं: **माहे द्वीप समूह** (पहाड़ी द्वीप) और **आउटर द्वीप** (समतल प्रवाल द्वीप)।
- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय महासागरीय।